रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940
No. 436] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

का.आ. 549(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3574 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 10 नवम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य 55.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह गुजरात राज्य के दहोद जिले के धनपुर तालुक में स्थित है;

और, रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य को 19 मार्च, 1982 से अभयारण्य की प्रास्थित प्रदान की गई थी। अभयारण्य का क्षेत्र गुजरात-मध्य प्रदेश सीमा पर गुजरात के पूर्वी भाग में स्थित है, इस क्षेत्र में मनोरम विंध्य पर्वत श्रृंखला का उत्तरी मुख्य भाग आता है। यह दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के वनों के साथ जुड़ा हुआ भू-भाग है और इसके उत्तर में बरिया वन प्रभाग का वन है;

और, रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर तथा आसपास मुख्य वनस्पति सागौन *(टेक्टोना ग्रांडिस)*, बांदरो*(लगेरस्टोइमेअ परवीफ्लोरा)*, सदद *(टरमिनेलीआ करेनुलाटा)*, तीमरू *(दीओसपयरोस मेलानोक्सीलोन)*, चोलीम्बो *(कसेअरीआ गरावेओलेंस)*, उम्भ *(मीलीयुसा टोमेंटोसा)*, धावदो *(अनोगेइस्ससूस लटीफोलिया)*, कलम *(मीटरागयना*

परवीफोलीआ), पतराली *(धालबेल्जिया पनीकुलाटा),* भूतजाद (*कस्सीना गलायका)* आदि पाई जाती हैं। रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), रीछ (*मेलउर्सुस उर्सिनस*), नीलगाय और ब्लू बुल *(दोसेलाफुस टरागोकामेलुस),* चौसिंगा मृग *(टेटराकेरूस क्यादरीकोरनीस),* चित्तीदार लकड़बग्घा *(हैना हैना),*आदि अभिलिखित हैं। अभयारण्य की महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां वाइल ग्रे फ्रैंकोलिन *(फरांकोलीनुस पोंदीकेरीयानुस),* रेड स्पुरफोवल *(गल्लोपेरदीक्स स्पादीकेया),* ग्रे जंगली मुर्गी (गल्लुस सोन्नाराटी*),* भारतीय मयूर *(पावो करीसटालुस)* हैं;

और, रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन का वन क्षेत्र जेनेटिक जैव विविधता वनस्पति और जीवजंतु दोनों की समृद्ध प्रजातियों से संपन्न है। इसकी प्राचीन सुंदरता और बंजर स्थलाकृति पर्यटन एकांत और शान्ति का बोध कराती है। यह भारत में पायी जाने वाली चार प्रजातियों में से एक रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*) का वास है यह स्थान टिपिकल रीछ क्षेत्र है;

और, रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 19.67 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-** (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर (अंत:राज्य सीमा मध्य प्रदेश की ओर) से 19.67 किलोमीटर तक का क्षेत्र है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 241.50 वर्ग किलोमीटर है। (शून्य विस्तार मध्य प्रदेश के साथ अंत:राज्य सीमा की ओर है।)

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण और विस्तार **उपाबंध I क** और **उपाबंध I ख** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) भू-निर्देशांकों, भूमि उपयोग नमूने, उपग्रह चित्र और अवस्थान मानचित्र के साथ रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIग** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी क और ख के रूप में उपाबद्ध है।

(5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** में दी गई है।

(6) रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश जनजाति भील हैं जिनमें वरिया, कोली, राठवा, मवी, भूरिया, दांगी, वखला, बरिया, परमार, तदवी, पावर, निनामा, नायक, धनका आदि उपजातियां पायी जाती हैं। रतनमहल के जनजातियों की उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है, जहां से ये 200 साल या इससे भी पहले रतनमहल वन के अंदरूनी भाग में आकर रहने लगे थे। इस अभयारण्य में आने वाले 3 ग्रामों में केवल जनजाति जनसंख्या है, जबकि सीमा पर स्थिति ग्रामों की जनसंख्या मिश्रित है। यहां सीमावर्ती ग्रामों में, अन्य जातियों के लोगों की संख्या अधिक है। जहां राजपूत और अन्य आर्थिक और सामाजिक रूप से उच्च जातियां अन्य मुख्य जातियां हैं। जनजाति मुख्य रूप से भील अभी भी अपनी उपजातियों के साथ

आदिम स्थिति में रहते हैं और उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे हैं। अच्छी स्कूली शिक्षा के अभाव के कारण, इनकी शिक्षा की स्थिति खराब है।

(7) जनजाति बड़े पैमाने पर कृषक और कृषि मजदूर हैं। इनका मुख्य खाद्य पदार्थ मक्का है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और कृषि मजदूरी है। इनकें पसंदीदा खाद्य पदार्थ ज्वार और दाल है। बीड़ी पीना और शराब भी पीना इनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। ये अपने भोजन के लिए काफी हद तक वन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और भारी संख्या में मांसाहारी हैं। इसके अतिरिक्त यह कृमादा, महूदा, तीमरू, बोर, बहेदा के बीजों आदि का सेवन करते हैं। गेहूं का आटा तैयार करने के लिए सूखे महूदा के फूलों और एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, जिसे 'पारोरा' कहा जाता हैं का प्रयोग करते हैं ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण,

(ii) वन और वन्यजीव,

(iii) कृषि,

(iv) राजस्व,

(v) शहरी विकास,

(vi) पर्यटन,

(vii) ग्रामीण विकास,

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,

(ix) नगरपालिका,

(x) पंचायती राज, और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान बागवानी क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों और मानचित्र के समर्थन के साथ भी सीमाकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के द्वारा समचित विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं को ब्यौरे होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैराग्राफ 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.–(क)** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

यह कि परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक है जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन में ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिया गया संवर्धित क्रियाकलाप है:

परंतु यह और भी कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा:

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या सैरगाह या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.--** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-**

(i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बृहत हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और संसूचना टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ विनियमित होंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्घ उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्रांव का निस्तारण।	उपचारित जल निकायों में बहिस्रांव के अपशिष्ट जल निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिस्रांव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
21.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	फर्मो, कॉर्पोरेट, कंपनियों और द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या प्राकृतिक वास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का इस अधिसूचना के गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	**निगरानी समिति का संघटक**	**पद**
1.	कलेक्टर, दहोद और छोटाउदेपुर जिले	अध्यक्ष,पूर्व पदाधिकारी;

2.	गैर-सरकारी संगठनों के या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत के दो प्रतिनिधि विशिष्ट रूप से पक्षियों के क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्य ।	सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
4.	प्रतिष्ठित संस्थान या राज्य विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
5.	प्रादेशिक अधिकारी, (जिला-पंचमहल और छोटाउदेपुर), गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पूर्व पदाधिकारी;
6.	सदस्य, राज्य जैव-विविधता बोर्ड	सदस्य;
7.	उप वन संरक्षक, वन्यजीव संभाग, वडोदरा	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इसके के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इसके पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उप कलक्टर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/42/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी,वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I क-ख

क. रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

अनुसूची 'क'

सीमा वर्णन – रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा गडोला ग्राम की सीमा में निर्देशांक उ22^0 32' 53.417", पू74^0 3' 48.858" के बिंदु के साथ आरंभ होती है। इसके बाद रेखा कोथर, दून ग्राम से होते हुए जाती है और यह की ग्राम सीमा जंमली (जेर) की ओर मुड़ती है। यह मरच्चीपानी ग्राम के उ 22^{0}31' 23.300", पू73^{0}58' 38.392" से जुड़ती है। सीमा उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर और केवदी-दोबाचापूरा, धोलीसीमेल-लीम्बनी, डूंगरभीन्त-वचलीभीन्त ग्रामों की सीमा से होते हुए जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा आड़े- तिरछे ढंग में उत्तर की ओर मुड़कर जीपीएस निर्देशांक उ22^{0}28' 12.567", पू73^{0}54' 40.334" के बिंदु से होते हुए जाती है। इसके बाद सीमा पुन: पश्चिम की ओर मुड़कर और बाद में लगभग 16.37 किलोमीटर के बाद यह पुन: अम्बलीपानीछोटरा ग्राम सीमा के साथ जीपीएस निर्देशांक उ 22^{0}31' 34.916", पू73^{0}50' 24.751" के बिंदु से मुड़ती है। सीमा राजस्व ग्रामों छसिया (सदादिया), सगताला, मादव की सीमा से उ 22^0 35' 16.111", पू 73^{0}54' 46.367" से होते हुए जाती है। इसके बाद यह फंगिया और जमरन ग्रामों की सीमा की ओर मुड़ती है। जीपीएस निर्देशांक उ 22^{0}34' 37.566", पू 73^{0}58' 23.944" में यह सेवनिया ग्राम की सीमा से उ 22^{0}36' 21.559", पू74^0 01' 3.334" होते हुए जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उ 22^{0}36' 23.406", पू 74^0 06' 47.808" के अंतर्गत लखनगोजीया, गडवेक, अंनद्रपुरा, पिपरिया ग्राम आते हैं। सीमा ककड्खीला सीमा धानपुर (ककड्खीला) पूर्वी दिशा की ओर लगभग 13.22 किलोमीटर तक जाती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा वन्यजीव अभयारण्य के उ 22^{0}33' 48.831"को छूती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की कुल सीमा 137.99 किलोमीटर है। बाद में यह मध्य प्रदेश की अंत:राज्यीय सीमा लगती है; इस प्रकार पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार पूर्व, दक्षिण- पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम दिशा में शून्य किलोमीटर है। पारिस्थितकी संवेदी जोन के अंतर्गत कुल 32 ग्राम आते हैं। इनमें से 10 ग्राम छोटाउदेपुर जिला में है, 14 ग्राम दहोद जिला, धनपुर तालुका में और 8 ग्राम बरिया तालुका में है ।

अनुसूची 'ख'

उत्तर: मांदुव, फंगीया, जमरान, सेवानीया, लाखना गोजीया, गधावेल, आन्द्रपुरा, पीपेरीया, लीमदी मेंदरी, कंजता, भींदोल, पनाम

पश्चिम: अम्बलीपानीछोटरा, छासीया, सागताला.

दक्षिण: धुवेरा, पीपेरागोट, कुबेरा, उधाल मेहुदा, गदोला, मीथीबोर, मारचीपानी, केवदी, धूलीसीमाल, दूंगरभींत

पूर्व: भानपुर, अलींद्रा, पांम, मध्य प्रदेश सीमा

ख. रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार

भिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार	दिशाएं	**एन बी एस के केंद्र से (किलोमीटर)**	**एन बी एस की सीमा से (किलोमीटर)**
	उत्तर	5.70	2.92
	उत्तर - पूर्व	8.40	4.77
	पूर्व	0	0
	दक्षिण-पूर्व	0	0

	दक्षिण	0	0
	दक्षिण-पश्चिम	0	0
	पश्चिम	25.85	19.67
	उत्तर-पश्चिम	8.62	2.23
परन्तु यदि संरक्षित क्षेत्र की किसी भी दिशा में **पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा शून्य** हो तो उसका औचित्य।	मध्य प्रदेश राज्य सीमा के कारण पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम जोन की दूरी शून्य है।		

उपाबंध- II क

10 किलोमीटर त्रिज्या में भू-निर्देशांकों और भूमि उपयोग पैटर्न के साथ रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

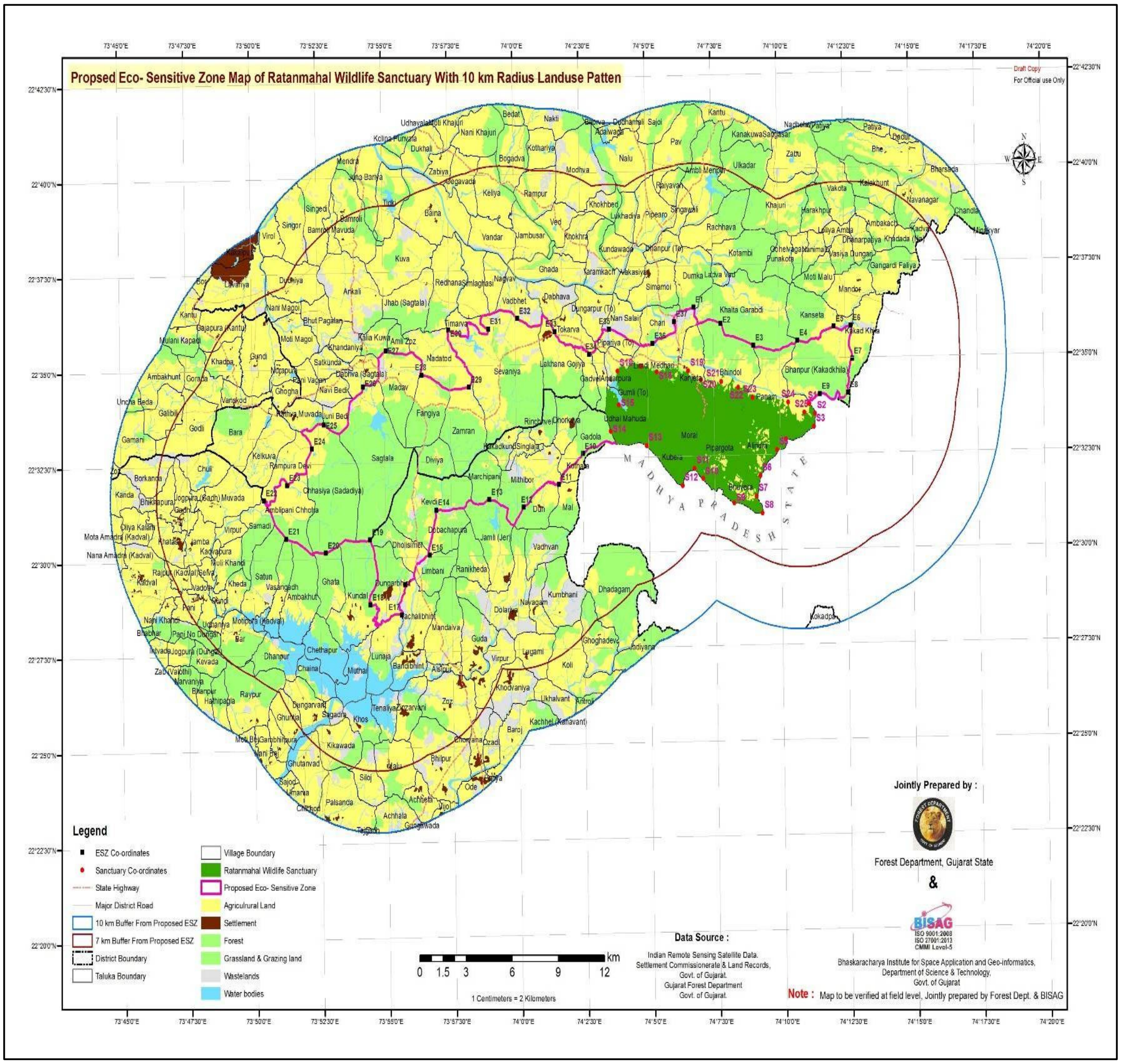

<u>उपाबंध- II ख</u>

10 किलोमीटर भूमि उपयोग पैटर्न और भू-निर्देशांकों के साथ संरक्षित क्षेत्र के केंद्र से दूरी को दर्शाने और रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

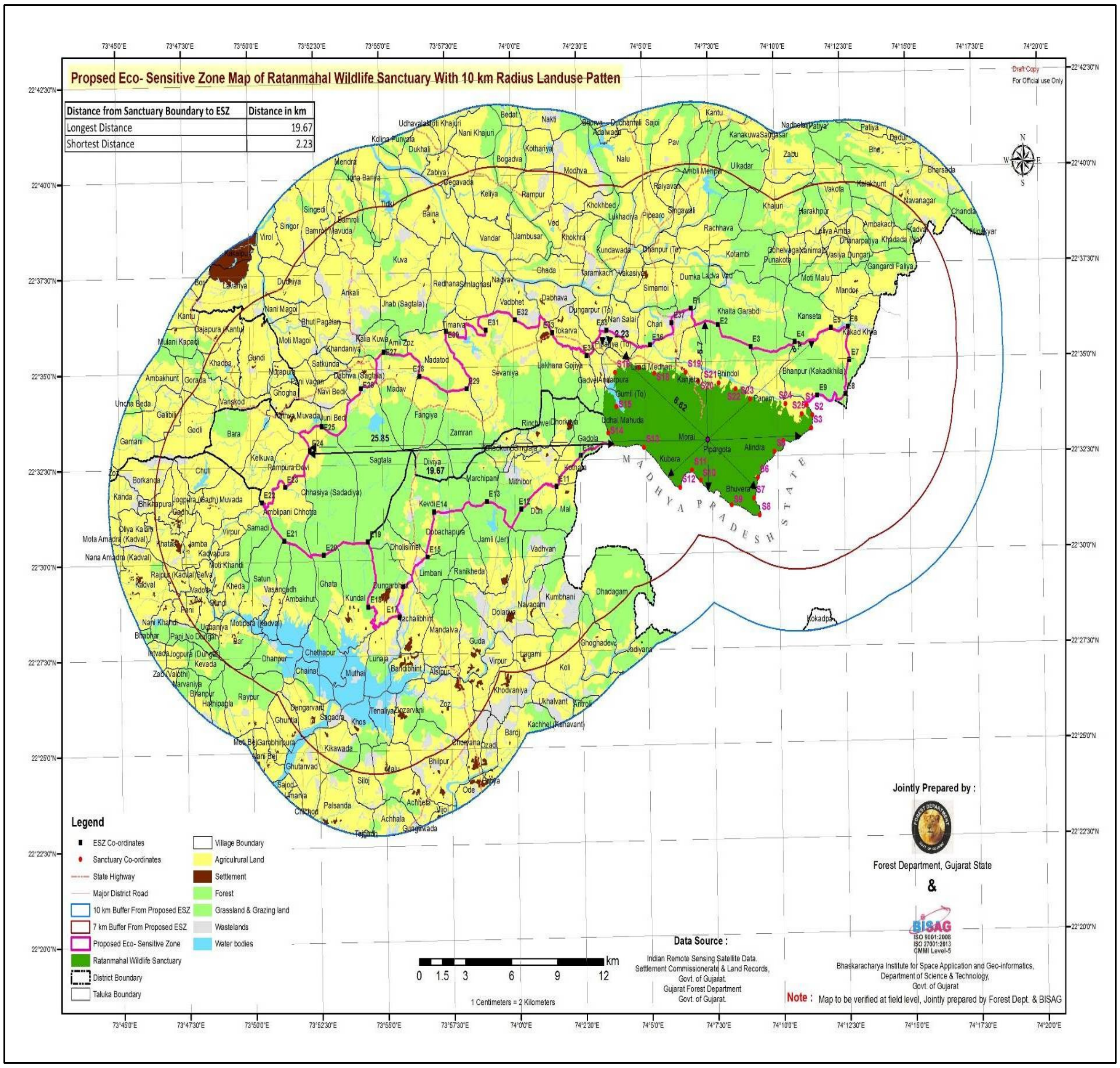

उपाबंध- II ग

रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र का उपग्रह चित्र

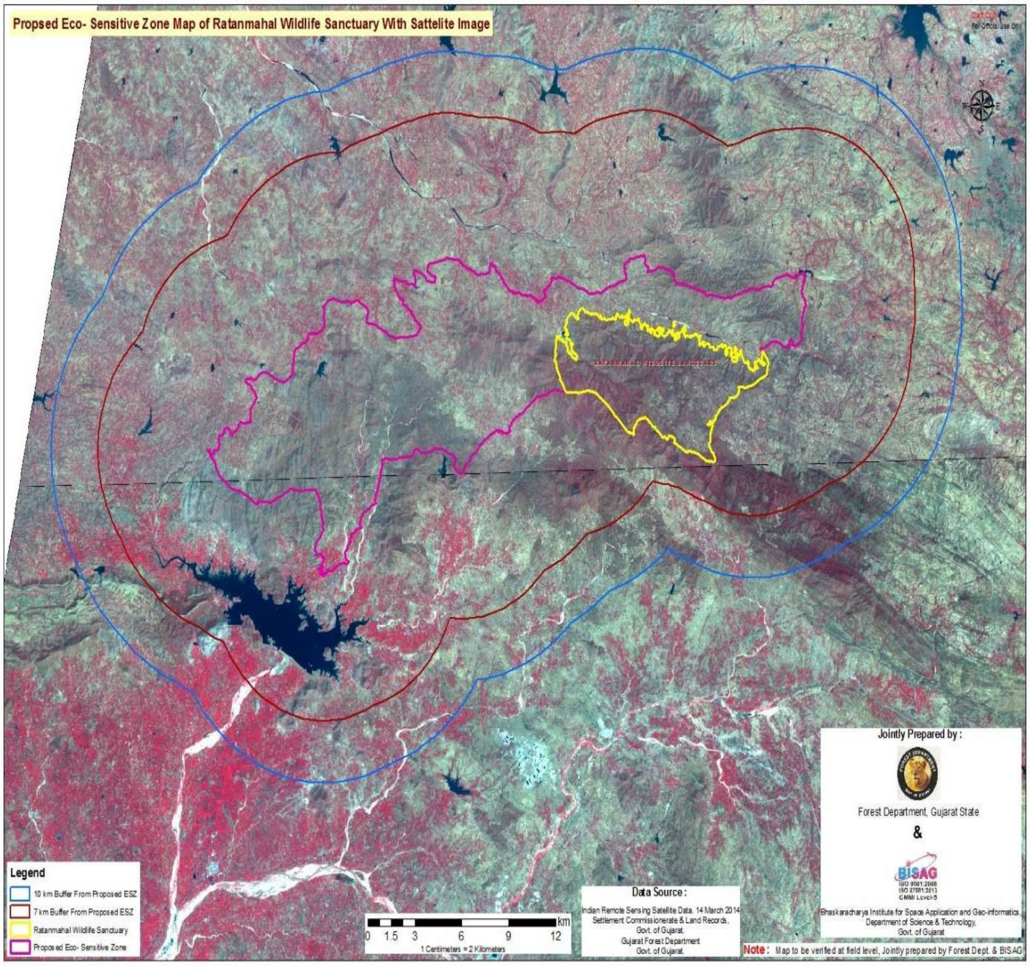

उपाबंध-III

सारणी क: मानचित्र पर दिखाए गए रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	निर्देशांक बिंदु
1	22° 33' 49.203" उ	74° 11' 7.873" पू	एस1
2	22° 33' 33.930" उ	74° 11' 20.348" पू	एस 2
3	22° 33' 13.451" उ	74° 11' 17.413" पू	एस 3
4	22° 32' 54.299" उ	74° 10' 13.183" पू	एस 4
5	22° 32' 38.005" उ	74° 9' 52.905" पू	एस 5
6	22° 31' 57.492" उ	74° 9' 14.227" पू	एस 6
7	22° 31' 25.502" उ	74° 9' 4.851" पू	एस 7

8	22° 30' 58.635" उ	74° 9' 17.669" पू	एस 8
9	22° 31' 15.178" उ	74° 8' 14.309" पू	एस 9
10	22° 31' 55.075" उ	74° 7' 4.393" पू	एस10
11	22° 32' 11.580" उ	74° 6' 44.769" पू	एस11
12	22° 31' 44.355" उ	74° 6' 17.083" पू	एस12
13	22° 32' 48.986" उ	74° 4' 56.322" पू	एस13
14	22° 33' 13.000" उ	74° 3' 35.019" पू	एस14
15	22° 33' 53.954" उ	74° 3' 54.474" पू	एस15
16	22° 34' 47.199" उ	74° 3' 52.039" पू	एस16
17	22° 34' 54.189" उ	74° 4' 46.338" पू	एस17
18	22° 34' 44.912" उ	74° 5' 21.492" पू	एस18
19	22° 34' 45.611" उ	74° 6' 33.198" पू	एस19
20	22° 34' 30.747" उ	74° 7' 1.744" पू	एस20
21	22° 34' 27.315" उ	74° 7' 47.634" पू	एस21
22	22° 34' 17.479" उ	74° 8' 26.336" पू	एस22
23	22° 34' 0.794" उ	74° 8' 58.949" पू	एस23
24	22° 33' 52.565" उ	74° 10' 19.282" पू	एस24
25	22° 33' 36.039" उ	74° 10' 55.499" पू	एस25

सारणी ख: मानचित्र पर दिखाए गए रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशां

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	निर्देशांक बिंदु
1	22° 36' 25.452" उ	74° 6' 46.777" पू	ई 1
2	22° 35' 59.361" उ	74° 7' 47.605" पू	ई 2
3	22° 35' 23.459" उ	74° 9' 1.457" पू	ई 3
4	22° 35' 29.601" उ	74° 10' 42.305" पू	ई 4
5	22° 35' 50.212" उ	74° 12' 4.887" पू	ई 5
6	22° 35' 51.212" उ	74° 12' 43.587" पू	ई 6
7	22° 34' 59.231" उ	74° 12' 45.875" पू	ई 7
8	22° 34' 6.160" उ	74° 12' 35.781" पू	ई 8
9	22° 34' 4.997" उ	74° 11' 31.608" पू	ई 9
10	22° 32' 38.753" उ	74° 2' 31.421" पू	ई 10
11	22° 31' 50.704" उ	74° 1' 35.876" पू	ई 11
12	22° 31' 16.388" उ	74° 0' 14.890" पू	ई 12

13	22° 31' 29.530" उ	73° 58' 56.930" पू	ई 13
14	22° 31' 14.479" उ	73° 56' 56.122" पू	ई 14
15	22° 30' 4.220" उ	73° 56' 40.296" पू	ई 15
16	22° 29' 18.128" उ	73° 55' 43.857" पू	ई 16
17	22° 28' 30.599" उ	73° 55' 34.895" पू	ई 17
18	22° 28' 46.909" उ	73° 54' 24.052" पू	ई 18
19	22° 30' 29.905" उ	73° 54' 24.656" पू	ई 19
20	22° 30' 10.285" उ	73° 52' 44.067" पू	ई 20
21	22° 30' 33.838" उ	73° 51' 14.802" पू	ई 21
22	22° 31' 34.916" उ	73° 50' 24.751" पू	ई 22
23	22° 31' 58.283" उ	73° 51' 17.810" पू	ई 23
24	22° 32' 55.163" उ	73° 52' 15.089" पू	ई 24
25	22° 33' 32.856" उ	73° 52' 42.684" पू	ई 25
26	22° 34' 31.118" उ	73° 54' 12.624" पू	ई 26
27	22° 35' 27.562" उ	73° 55' 5.602" पू	ई 27
28	22° 34' 48.282" उ	73° 56' 26.364" पू	ई 28
29	22° 34' 27.469" उ	73° 58' 13.485" पू	ई 29
30	22° 35' 57.970" उ	73° 57' 28.160" पू	ई 30
31	22° 35' 58.442" उ	73° 58' 59.062" पू	ई 31
32	22° 36' 14.016" उ	74° 0' 5.530" पू	ई 32
33	22° 35' 52.172" उ	74° 1' 30.573" पू	ई 33
34	22° 35' 15.184" उ	74° 2' 47.964" पू	ई 34
35	22° 35' 54.284" उ	74° 3' 33.862" पू	ई 35
36	22° 35' 29.918" उ	74° 5' 12.564" पू	ई 36
37	22° 36' 3.721" उ	74° 6' 2.094" पू	ई 37

उपाबंध- IV

मुख्य सीमों के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/ तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	गदोला	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°30'.20"पू	22°34'30"उ
2	केवाडी	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	73°57'.04"पू	22°32'20"उ
3	धूलीसिमाल	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	73°56'.16"पू	22°31'10"उ
4	धूंगरभीट	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	73°56'.00"पू	22°29'45"उ
5	धोरकुवा	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°10'.50"पू	22°34'00"उ

क्र.सं	ग्राम नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/ तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)
6	रीछावेल	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°10'.05"पू	22°34'02"उ
7	काकाल्खुर्द	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°05'.00"पू	22°33'10"उ
8	मीथीबोर पीटी.	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°10'.30"पू	22°33'20"उ
9	मारचीपानी	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	73°58'.00"पू	22°31'05"उ
10	सिंगाल्जा	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°10'.05"पू	22°34'10"उ
11	पंम पीटी	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°11'.00"पू	22°35'10"उ
12	भींदोल पीटी	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°90'.00"पू	22°30'20"उ
13	भानपुर	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°11'.10"पू	22°35'05"उ
14	लिमदीमेंदरी	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°50'.30"पू	22°35'45"उ
15	पीपरीअ	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°50'.45"पू	22°36'05"उ
16	अंदारपुरा	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°40'.20"पू	22°34'10"उ
17	कंजात पीटी.	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°08'.05"पू	22°35'10"उ
18	गुमली	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°40'.30"पू	22°30'15"उ
19	उधाल महुदा	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°3'.855"पू	22°33'25"उ
20	पीपरगोट	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°8'.002"पू	22°32'42"उ
21	भुवेरो	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°8'.426"पू	22°31'62"उ
22	अलींदरा	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°9'.214"पू	22°32'62"उ
23	गधवेल	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°30'.05"पू	22°35'00"उ
24	लखंगोजीया	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°20'.30"पू	22°36'20"उ

क्र.सं	ग्राम नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/ तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)
25	मांदव	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°56'.04"पू	22°34'45"उ
26	दीवीया	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°57'.01"पू	22°33'00"उ
27	छासीयासाददीया	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°54'.00"पू	22°31'00"उ
28	अमलीपानीछोतरा	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°55'.01"पू	22°33'00"उ
29	सागताला	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°55'.00"पू	22°34'01"उ
30	फनगीया	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°58'.00"पू	22°34'01"उ
31	सेवानीया	सर्वेक्षण सं. 123, 158, 208 और पृथक दक्षिणी पैच (9.85 हेक्टेयर) के अलावा संपूर्ण वन क्षेत्र में सर्वेक्षण सं. 428/1 के उत्तरी पैच (123.22 हेक्टेयर)।	बरीआ	दहोद	73°59'.10"पू	22°35'00"उ
32	जमरान	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°58'.10"पू	22°34'10"उ

उपाबंध V

कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र :

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । (ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ।(ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

S.O. 549(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3574(E), dated the 9th November, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 10th November, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Ratanmahal Wildlife Sanctuary is spread over an area of 55.65 square kilometers and situated in Dhanpur Taluka of Dahod District in the State of Gujarat;

AND WHEREAS, Ratanmahal Wildlife Sanctuary was given the status of Sanctuary with effect from the 19th March, 1982. The Sanctuary area is situated in the eastern part of Gujarat along Gujarat-Madhya Pradesh border, the area consists of the northern most part of the picturesque Vindhya hill series. It forms a contiguous tract with the forests of Alirajpur district in Madhya Pradesh in the South east and on the North lies forest area of Baria Forest Division;

AND WHEREAS, the major vegetation found in and around Ratanmahal Wildlife Sanctuary is teak (*Tectona grandis),* bandaro (*Lagerstroemia parviflora),* sadad (*Terminalia crenulata*), timru (*Diospyros melanoxylon),* cholimbo (*Casearia graveolens),* umbh (*Miliusa tomentosa),* dhavado (*Anogeissus latifolia),* kalam (*Mitragyna parvifolia*), patarali (*Dalbergia paniculata),* bhutzad (*Cassine glauca*), etc. The major fauna recorded from Ratanmahal Wildlife Sanctuary are leopard (*Panthera pardus),* sloth bear (*Melursus ursinus),* nilgai or bluebull (*Boselaphus tragocamelus),* four-horned antelope (*Tetracerus quadricornis),* striped hyena (*Hyaena hyaena*) etc. While, grey francolin (*Francolinus pondicerianus*), red spurfowl (*Galloperdix spadicea),* grey junglefowl (*Gallus sonneratii),* Indian peafowl (*Pavo cristatus)*, etc are the important bird species of the sanctuary;

AND WHEREAS, the Ratanmahal Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone forest area is a treasure of genetic biodiversity-rich species of both flora and fauna. Pristine beauty and rugged topography gives the visitors a sense of solitude and peace. It is home to the sloth bear (*Melursus ursinus*) one of the four species found only in India, the place being a typical sloth bear area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Ratanmahal Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0 (zero) to 19.67 kilometers around the boundary of Ratanmahal Wildlife Sanctuary in the State of Gujarat as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) kilometre to 19.67 kilometres around the boundary of Ratanmahal Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 241.50 square kilometres**.** (Zero extent is towards interstate border with Madhya Pradesh).

(2) The extent and boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IA** and **Annexure-IB.**

(3) Maps of Eco-sensitive Zone of Ratanmahal Wildlife Sanctuary along with geo-coordinates, land use pattern, satellite image and location maps are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Ratanmahal Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone is appended as Table A and B of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-IV**.

(6) Majority of the tribal of Ratanmahal Wildlife Sanctuary are Bhils, with sub-casts like Variya, Koli, Rathwa, Mavi, Bhuria, Dangi, Vakhala, Baria, Parmar, Tadvi, Pavar, Ninama, Nayak, Dhanaka, etc. The tribals of Ratanmahal have their origin in Madhya Pradesh, from where they migrated to the interior of the Ratanmahal forest before 200 years or so. The three villages within the sanctuary have exclusively tribal population, whereas the villages on the border have mixed population. Here, in the border villages, the people of other casts are more in number. Other main casts are Rajput and other economically and socially higher casts. The tribal, mainly Bhils, with their sub-casts still live in primitive conditions and majority of them subsist below poverty line. Due to absence of good schooling facilities, the education status is poor.

(7) The tribes are largely agriculturist and agriculture labourers. Maize is the main food item. Their main profession is agriculture and agriculture labour. Jowar and Dal are their favourite food items. Smoking bidis and drinking liquor are also part of daily life. They depend upon the forest resources for their food great extent and are largely non-vegetarian. Apart from these they use the fruits of Karamada, Mahuda, Timru, Bor, Temrind, Seed of Baheda, etc. They also used dried mahuda flower for preparation of dough of wheat and a delicious food item khown as 'Parora'.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal,
(x) Panchayati Raj, and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific

scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(ii) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(i) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(ii) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:

		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.

20.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
21.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Collectors of Dahod and Chhotaudepur Districts	Chairman, ex officio;
2.	Two representative of non-governmental organizations or working in the field of environment particularly in the area of birds and Wildlife Sanctuary.	Members;
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
4.	One expert in Ecology from reputed institution or University of the State	Member;

5.	Regional officer, (District-Panchmahal and Chhotaudepur) Gujarat State Pollution Control Board	Member, ex officio;
6.	Member, State Biodiversity Board	Member;
7.	Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Vadodara	Member – Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/42/2017-ESZ]

Dr. SATISH C GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- IA

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE

SCHEDULE 'A'

Boundary Description – The boundary line of the Eco-sensitive Zone of Ratanmahal Wildlife Sanctuary starts from a point with coordinates N22^0 32' 53.417", E74^0 3' 48.858" at the border of Gadola village. Then, the line runs through the Kothar, Dun village and it takes a turn towards Mithibor village bordering Jamli (Jer). It joins the Marchhipani village via N 22^{0}31' 23.300", E 73^{0}58' 38.392". The boundary takes a north-west turn and passes through the border of Kevdi-Dobachapura, Dholisimel - Limbani, Dungarbhint - Vachalibhint Villages Boundary. Then, the boundary of the eco-sensitive zone turns towards North in a zig-zag manner passing through a point having GPS coordinate of N22^{0}28' 12.567", E73^{0}54' 40.334". Then the boundary again turns towards west and after around 16.37 kilometers again it takes a turn at AmblipaniChhotra village border with a point having GPS Coordinates N 22^{0}31' 34.916", E73^{0}50' 24.751". The boundary runs through the border of revenue villages Chhasiya (Sadadiya),Sagtala, Madav via N 22^0 35' 16.111", E 73^{0}54' 46.367". Then, it turns towards the border of Fangiya and Zamran villages. At GPS coordinates N 22^{0}34' 37.566", E 73^{0}58' 23.944" it passes through bordering Sevaniya village upto N 22^{0}36' 21.559", E74^0 01' 3.334". Lakhana Gojiya,

Gadvek, Andrapura,Pipariya villages also comes within the borders of this Eco-sensitive Zone at N $22^0$36' 23.406", E 74^0 06' 47.808". The boundary continues around 13.22 kilometers in the eastern direction towards Kakadkhila bordering Bhanpur (Kakadkhila). The Border of the Eco-sensitive Zone touches the Wildlife Sanctuary at N $22^0$33' 48.831". The total border of the Eco-Sensitive Zone covers 137.99 kilometers. Since, there is interstate border of Madhya Pradesh, the extent of Eco-Sensitive Zone in East, South-East, South, South-West direction is zero kilometer. A total of 32 villages are situated inside the Eco-sensitive Zone. Out of this 10 villages are in Chhotaudeipur district, 14 villages are in Dhanpur Taluka and 8 villages are in Baria Taluka of Dahod district.

SCHEDULE 'B'

North: Mandav, Fangiya, Zamran, Sevaniya, Lakhana Gojiya, Gadhavel, Andarpura, Pipariya, Limdi Mendri, Kanjeta, Bhindol, Panam.

West: Amblipani Chhotra, Chhasiya, Sagtala.

South: Bhuvera, Pipargota, Kubera, Udhal Mahuda, Gadola, Mithibor, Marchipani, Kevdi, Dholisimal, Dungarbhint.

East: Bhanpur, Alindra, Panam, Madhya Pradesh Border.

ANNEXURE-IB

B. EXTENT OF ECO-SENSITIVE ZONE FOR RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY

Extent of Eco-sensitive Zone in different directions (kilometres)	**Directions**	**From center of the Sanctuary (kilometer)**	**From border of the Sanctuary (kilometer)**
	North	5.70	2.92
	North- East	8.40	4.77
	East	0	0
	South-East	0	0
	South	0	0
	South-West	0	0
	West	25.85	19.67
	North-West	8.62	2.23
Provide justification **if Eco Sensitive Zone extent is Zero** in any of the direction of the Protected Area	There is Madhya Pradesh State Border, thus East, South-East, South, South-West zone Distance are Zero.		

ANNEXURE-IIA

ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES AND LAND USE PATTERN AT 10 (TEN) KILOMETERS RADIUS

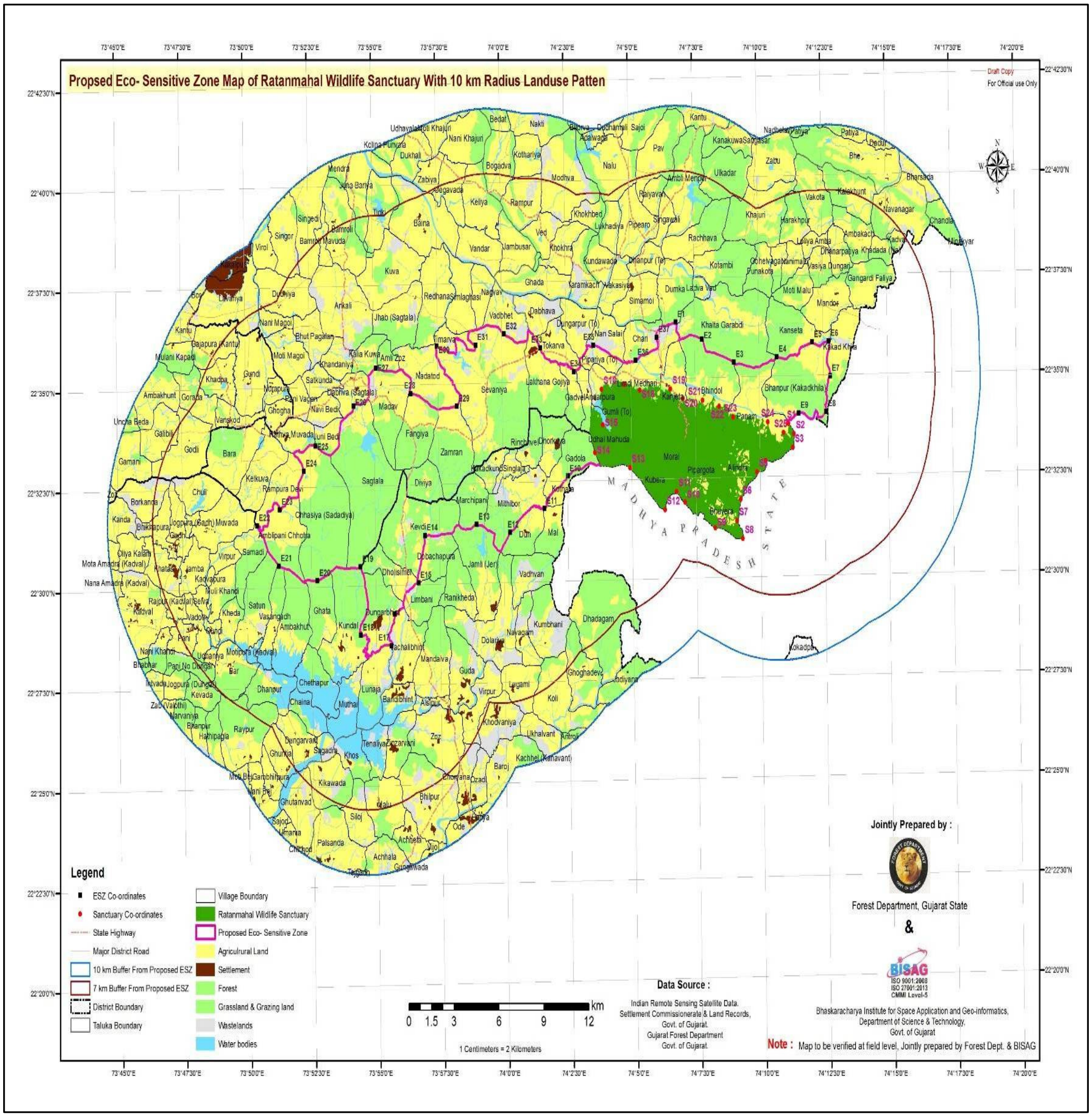

ANNEXURE-IIB

ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY AND DISTANCE SHOWING FROM CENTRE OF PROTECTED AREA ALONG WITH GEO-COORDINATES AND 10 (TEN) KILOMETERS LAND USE PATTERN

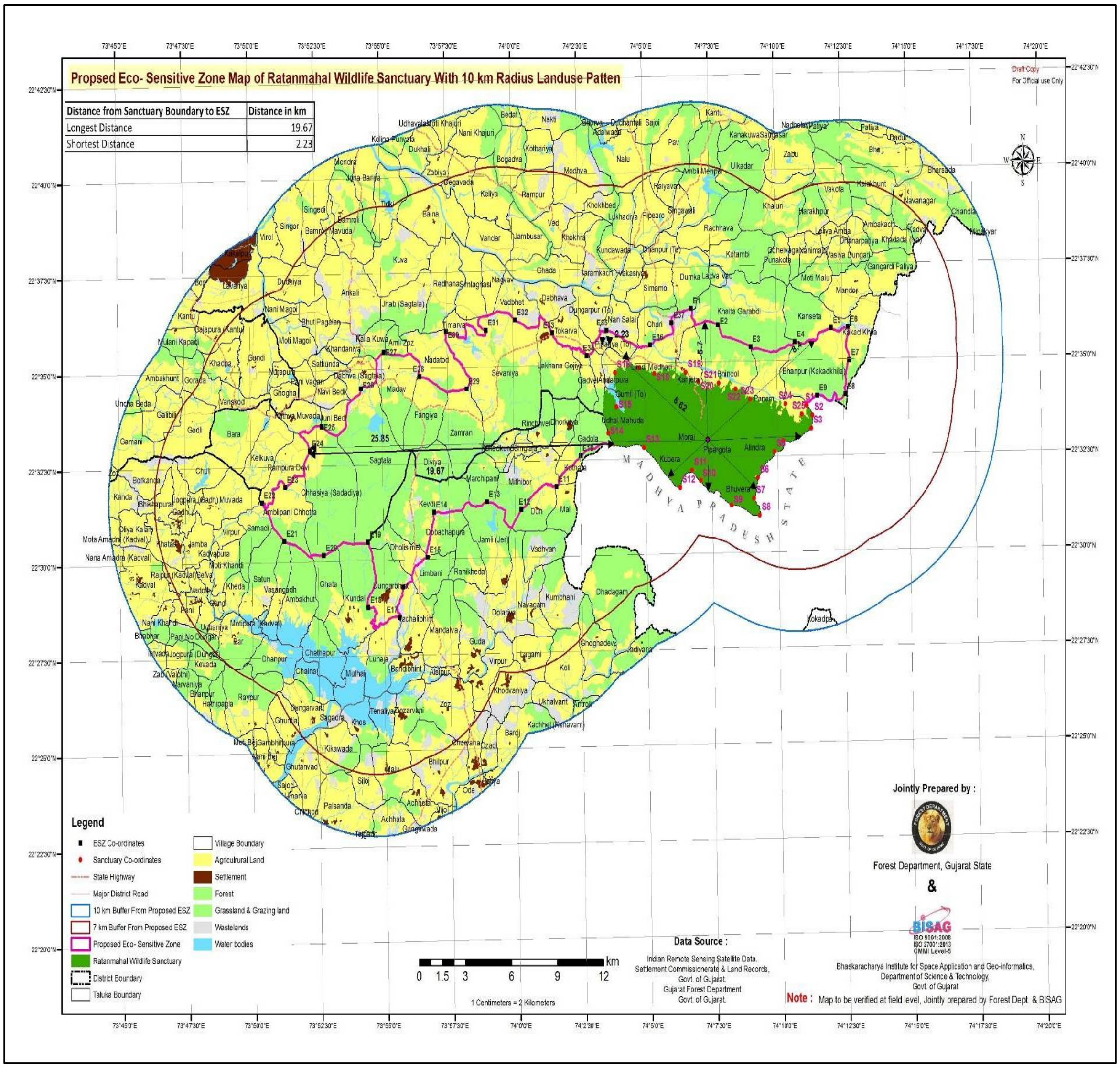

ANNEXURE-IIC

SATELLITE IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY, GUJARAT

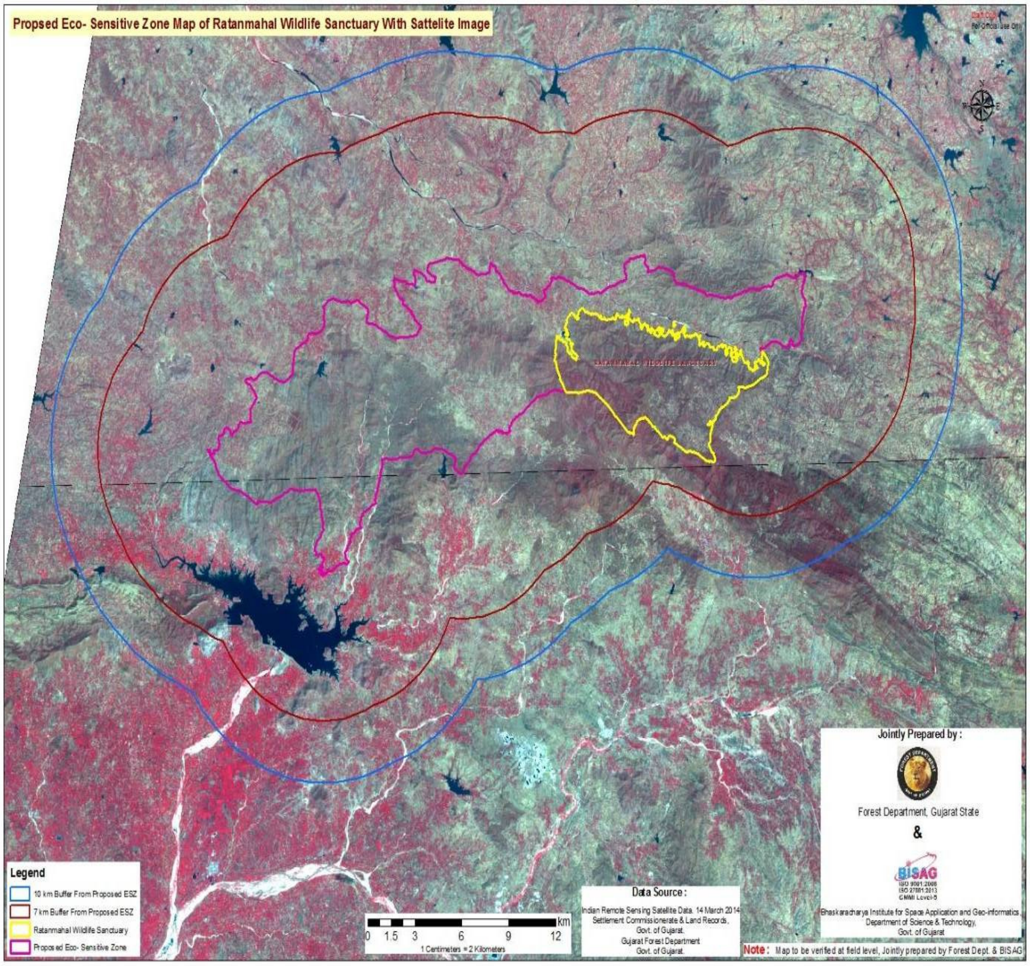

ANNEXURE-III

TABLE A: Geo-coordinates of prominent locations along the boundary of Ratanmahal Wildlife Sanctuary shown on map

Sr. No.	Latitude	Longitude	Co-ordinate Point
1	22° 33' 49.203" N	74° 11' 7.873" E	S1
2	22° 33' 33.930" N	74° 11' 20.348" E	S2
3	22° 33' 13.451" N	74° 11' 17.413" E	S3
4	22° 32' 54.299" N	74° 10' 13.183" E	S4
5	22° 32' 38.005" N	74° 9' 52.905" E	S5
6	22° 31' 57.492" N	74° 9' 14.227" E	S6
7	22° 31' 25.502" N	74° 9' 4.851" E	S7
8	22° 30' 58.635" N	74° 9' 17.669" E	S8
9	22° 31' 15.178" N	74° 8' 14.309" E	S9
10	22° 31' 55.075" N	74° 7' 4.393" E	S10

11	22° 32' 11.580" N	74° 6' 44.769" E	S11
12	22° 31' 44.355" N	74° 6' 17.083" E	S12
13	22° 32' 48.986" N	74° 4' 56.322" E	S13
14	22° 33' 13.000" N	74° 3' 35.019" E	S14
15	22° 33' 53.954" N	74° 3' 54.474" E	S15
16	22° 34' 47.199" N	74° 3' 52.039" E	S16
17	22° 34' 54.189" N	74° 4' 46.338" E	S17
18	22° 34' 44.912" N	74° 5' 21.492" E	S18
19	22° 34' 45.611" N	74° 6' 33.198" E	S19
20	22° 34' 30.747" N	74° 7' 1.744" E	S20
21	22° 34' 27.315" N	74° 7' 47.634" E	S21
22	22° 34' 17.479" N	74° 8' 26.336" E	S22
23	22° 34' 0.794" N	74° 8' 58.949" E	S23
24	22° 33' 52.565" N	74° 10' 19.282" E	S24
25	22° 33' 36.039" N	74° 10' 55.499" E	S25

Table B: Geo-coordinates of prominent locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of Ratanmahal Wildlife Sanctuary shown on map

Sr. No.	Latitude	Longitude	Co-ordinate Point
1	22° 36' 25.452" N	74° 6' 46.777" E	E1
2	22° 35' 59.361" N	74° 7' 47.605" E	E2
3	22° 35' 23.459" N	74° 9' 1.457" E	E3
4	22° 35' 29.601" N	74° 10' 42.305" E	E4
5	22° 35' 50.212" N	74° 12' 4.887" E	E5
6	22° 35' 51.212" N	74° 12' 43.587" E	E6
7	22° 34' 59.231" N	74° 12' 45.875" E	E7
8	22° 34' 6.160" N	74° 12' 35.781" E	E8
9	22° 34' 4.997" N	74° 11' 31.608" E	E9
10	22° 32' 38.753" N	74° 2' 31.421" E	E10
11	22° 31' 50.704" N	74° 1' 35.876" E	E11
12	22° 31' 16.388" N	74° 0' 14.890" E	E12
13	22° 31' 29.530" N	73° 58' 56.930" E	E13
14	22° 31' 14.479" N	73° 56' 56.122" E	E14
15	22° 30' 4.220" N	73° 56' 40.296" E	E15
16	22° 29' 18.128" N	73° 55' 43.857" E	E16
17	22° 28' 30.599" N	73° 55' 34.895" E	E17
18	22° 28' 46.909" N	73° 54' 24.052" E	E18
19	22° 30' 29.905" N	73° 54' 24.656" E	E19
20	22° 30' 10.285" N	73° 52' 44.067" E	E20
21	22° 30' 33.838" N	73° 51' 14.802" E	E21
22	22° 31' 34.916" N	73° 50' 24.751" E	E22
23	22° 31' 58.283" N	73° 51' 17.810" E	E23
24	22° 32' 55.163" N	73° 52' 15.089" E	E24
25	22° 33' 32.856" N	73° 52' 42.684" E	E25
26	22° 34' 31.118" N	73° 54' 12.624" E	E26
27	22° 35' 27.562" N	73° 55' 5.602" E	E27
28	22° 34' 48.282" N	73° 56' 26.364" E	E28
29	22° 34' 27.469" N	73° 58' 13.485" E	E29
30	22° 35' 57.970" N	73° 57' 28.160" E	E30
31	22° 35' 58.442" N	73° 58' 59.062" E	E31

32	22° 36' 14.016" N	74° 0' 5.530" E	E32
33	22° 35' 52.172" N	74° 1' 30.573" E	E33
34	22° 35' 15.184" N	74° 2' 47.964" E	E34
35	22° 35' 54.284" N	74° 3' 33.862" E	E35
36	22° 35' 29.918" N	74° 5' 12.564" E	E36
37	22° 36' 3.721" N	74° 6' 2.094" E	E37

ANNEXURE- IV

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES OF PROMINENT BOUNDARIES

S. No.	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	Gadola	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°30'.20"E	22°34'30"N
2	Kevadi	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	73°57'.04"E	22°32'20"N
3	Dholisimal	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	73°56'.16"E	22°31'10"N
4	Dungarbhit	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	73°56'.00"E	22°29'45"N
5	Dhorkuva	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°10'.50"E	22°34'00"N
6	Richhvel	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°10'.05"E	22°34'02"N
7	Kakalkund	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°05'.00"E	22°33'10"N
8	Mithibor Pt.	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°10'.30"E	22°33'20"N
9	Marchipani	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	73°58'.00"E	22°31'05"N
10	Singalja	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°10'.05"E	22°34'10"N
11	Panam Pt.	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°11'.00"E	22°35'10"N
12	Bhindol Pt.	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°90'.00"E	22°30'20"N
13	Bhanpur	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°11'.10"E	22°35'05"N
14	Limdimendri	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°50'.30"E	22°35'45"N
15	Piparia	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°50'.45"E	22°36'05"N
16	Andarpura	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°40'.20"E	22°34'10"N
17	Kanjeta Pt.	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°08'.05"E	22°35'10"N
18	Gumli	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°40'.30"E	22°30'15"N
19	Udhal mahuda	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°3'.855"E	22°33'25"N
20	Pipergota	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°8'.002"E	22°32'42"N
21	Bhuvero	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°8'.426"E	22°31'62"N
22	Alindra	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°9'.214"E	22°32'62"N
23	Gadhvel	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°30'.05"E	22°35'00"N

S. No.	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
24	Lakhanagojiya	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°20'.30"E	22°36'20"N
25	Mandav	Whole Village	Baria	Dahod	73°56'.04"E	22°34'45"N
26	Diviya	Whole Village	Baria	Dahod	73°57'.01"E	22°33'00"N
27	Chhasiyasadadiya	Whole Village	Baria	Dahod	73°54'.00"E	22°31'00"N
28	Amlipanichhotra	Whole Village	Baria	Dahod	73°55'.01"E	22°33'00"N
29	Sagtala	Whole Village	Baria	Dahod	73°55'.00"E	22°34'01"N
30	Fangiya	Whole Village	Baria	Dahod	73°58'.00"E	22°34'01"N
31	Sevaniya	Whole Forest area except that of survey no.123, 158, 208 & Isolated Southern Patch (9.85 ha.) Northen patches (123.22 ha.) of survey no.428/1	Baria	Dahod	73°59'.10"E	22°35'00"N
32	Zamran	Whole Village	Baria	Dahod	73°58'.10"E	22°34'10"N

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.04 19:48:16 +05'30'